संख्या-47/2015/53/22-2-2015-17(36)/2015

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 15 अप्रैल,2015

विषय:- प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत मुक्त होने वाले सीमित सजा से दण्डित बन्दियों के प्रार्थना-पत्र (फार्म-ए)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-37937/पर-3,(एम-12-12-2014) दिनांक 17-12-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी **राम किशोर उर्फ कल्लू (बन्दी संख्या-24018) पुत्र श्री जगमोहन, निवासी ग्राम-भूडपुरवा, थाना-तिर्वा, जिला-कन्नौज के** फार्म-ए पर **यू0पी0** प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेंस पर मुक्ति शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गई है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भदवीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-47/2015/53/(1)/22-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-47/2015/53/22-2-2015-17(36)/2015

दिनांक 15 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष **राम किशोर उर्फ कल्लू (बन्दी संख्या-24018) पुत्र श्री जगमोहन, निवासी ग्राम-भूड़पुरवा, थाना-तिर्वा, जिला-कन्नौज** की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in